E-mail

भारत सरकार Government of India
वित्त मंत्रालय Ministry of Finance
राजस्व विभाग Department of Revenue
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
Central Board of Indirect Taxes & Customs
राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी,
National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics,
पालसमुद्रम, एन एच - 44, गोरंटला मंडल, श्री सत्य साईं जिला, आंध्र प्रदेश-515251
Palasamudram, NH-44, Gorantla Mandal, Sri Sathya Sai Dist, Andhra Pradesh – 515251
ई-मेल/E-mail: vig-nacinpsm@gov.in टेलीफ़ोन Phone: 08556-229750

सतर्कता परिपत्र संख्या 02/2026 VIGILANCE CIRCULAR No. 02/2026

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन - संबंध में।

Subject: Constitution of Internal Complaints Committee to look into complaints of Sexual Harassment of women at workplace – Regarding.

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के प्रावधानों के अनुपालन में, निम्नलिखित संरचना के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है:

In pursuance of Section 4(1) of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, an Internal Complaint Committee is constituted with the following composition:

क्रम सं. Sl. No.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.) Name of the Officer (Shri/Smt/Ms.)	पदनाम Designation	संपर्क सं. Contact No.
1	Mandeep Sangha	Additional Director	9899228390
2	R Soundari, Member	Assistant Director	9444155260
3	G. Sahi Darsini/ Hamsa Shree/ Bendukuri Maurya Tej	IRS- 77th Batch OT	9100917428/8073005980/ 9959157028
		Additional	

4	G Prameela Rani, Member	Assistant Director	9440696974
5	B Sreenivas Sastry	Additional Assistant Director	9908063232
6	L Sneha Ravali	Inspector	9769578882
7	Sayyad Imran Basha, Member	Inspector	9032610190
8	P Sai Prema	Advocate	8522953227

2. आंतरिक शिकायत समिति नासिन, पालसमुद्रम के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित सभी शिकायतों की जांच करेगी। कार्यस्थल पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों और मानकों का पालन किया जाना आवश्यक हैः

The Internal Complaint Committee shall look into all complaints of sexual harassment at the workplace of NACIN, Palasamudram. The following guidelines and norms are to be observed to prevent sexual harassment of the working women:

(i) कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के प्रति यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।

No employee should indulge in any act of sexual harassment of any woman at her workplace.

(ii) यौन उत्पीड़न में किसी भी प्रकार का अवांछित यौन-प्रेरित व्यवहार शामिल है, जैसेः

Sexual harassment includes any unwelcome sexually determined behaviour, such as:

a. शारीरिक संपर्क और अग्रसरता / Physical contact and advances

b. यौन कृपा की माँग या अनुरोध / Demand or request for sexual favours

c. यौन संकेत वाले कथन / Sexually coloured remarks

d. अश्लील सामग्री का प्रदर्शन / Showing pornography

e. अन्य कोई अवांछित शारीरिक, मौखिक अथवा अमौखिक आचरण / Any other unwelcome physical, verbal/non-verbal conduct of sexual nature.

(iii) महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 3(1) के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियाँ किसी भी उत्पीड़न की घटना से संबंधित होकर यौन उत्पीड़न मानी जा सकती हैंः

As per Section 3(1) of SHWWP Act, 2013, the following circumstances among others may amount to sexual harassment:

(a) सेवा में विशेष या प्राथमिकता प्राप्त व्यवहार का संकेत या स्पष्ट वादा; या

(Implied or explicit promise of preferential treatment in employment); or

(b) सेवा में प्रतिकूल व्यवहार का संकेत या स्पष्ट धमकी; या

(Implied or explicit threat of detrimental treatment in employment); or

(c) वर्तमान या भविष्य के रोजगार की स्थिति पर संकेत या स्पष्ट धमकी; या

(Implied or explicit threat about her present or future employment status); or

(d) कार्य में हस्तक्षेप करना या भयभीत/अपमानजनक कार्य वातावरण बनाना; या

(Interference with her work or creating an intimidating, offensive or hostile work environment); or

(e) ऐसा अपमानजनक व्यवहार जो स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकता हो।

(Humiliating treatment likely to affect her health or safety).

(iv) यदि ऐसा कोई कार्य भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के अंतर्गत दंडनीय है, तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा उस कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त आपराधिक कार्रवाई हेतु शिकायत दर्ज की जाएगी।

If any such act is punishable under the Indian Penal Code or any other law, the concerned authorities shall make a complaint with the appropriate authority for initiating criminal action against the employee.

(v) कार्यस्थल के प्रभारी प्रत्येक कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न की किसी भी घटना को रोकने हेतु उपयुक्त कदम उठाए।

Every employee in charge of a workplace shall take appropriate steps to prevent sexual harassment of any woman employee.

3. नासिन, पालसमुद्रम में कार्यरत सभी महिला अधिकारी/कर्मचारी, यदि उन्हें उपरोक्त में से किसी प्रकार की घटना का सामना करना पड़े, तो वे समिति के किसी भी सदस्य को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।

All the women working in NACIN, Palasamudram may submit their representation to any member of the Committee if they face any of the

incidents mentioned above.

4. आंतरिक शिकायत समिति के कार्यनियम इस परिपत्र के परिशिष्ट में संलग्न हैं।
The working rules for the Internal Complaint Committee are detailed in the Annexure to this circular.

5. यह आदेश महानिदेशक, नासिन पालसमुद्रम के की स्वीकृति से जारी किया गया है।
This issues with the approval of the Director General, NACIN Palasamudram.

Digitally signed by
Peri Umasankar
Date: 09-10-2026
09:23:06

(पेरि उमाशंकर Peri Umasankar)
प्रधान अपर महानिदेशक
Principal Additional Director General

प्रति / To:
सभी अधिकारीगण, नासिन, पालसमुद्रम / All the officers of NACIN, Palasamudram.

प्रतिलिपि प्रस्तुत / Copy submitted to:
महानिदेशक, नासिन, पालसमुद्रम / The Director General, NACIN, Palasamudram

प्रतिलिपि सूचनार्थ / Copy to:
1. अध्यक्ष एवं सभी कार्यरत सदस्य, आंतरिक शिकायत समिति, नासिन, पालसमुद्रम।
The Chairperson and all the working members of the Internal Complaint Committee, NACIN, Palasamudram.
2. श्रीमती पी. साई प्रेमा, अधिवक्ता, डोर नं. 6/180, नियर ओल्ड पोस्ट ऑफिस, पेनुकोण्डा, सत्य साई जिला - 515110
Smt. P Sai Prema, Advocate, Door No. 6/180, Near Old Post Office, Penukonda, Sathya Sai District - 515110
3. सभी प्रधान अपर महानिदेशक / अपर महानिदेशक, नासिन, क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, सूचनार्थ।
All the Pr. ADGs/ADGs of NACIN, ZTI & RTI for information.
4. सूचना पट्ट, नासिन, पालसमुद्रम। / The Notice Board, NACIN, Palasamudram.
5. प्रणाली प्रबंधक, नासिन, पालसमुद्रम - वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
The System Manager for uploading on the website of NACIN, Palasamudram.